# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1866-दो/2006 - विरुद्ध आदेश दिनांक 14-9-2006 - पारित व्दारा - अपर आयुक्त, चम्बल संभाग,मुरैना - प्रकरण कमांक 1071/2005-06 अपील

सेवाराम पुत्र चौखरिया धाकड़
ग्राम बड़सिरथरा तहसील कैलारस
जिला मुरैना, मध्य प्रदेश

--आवेदक

विरुद्ध

1- प्रकाश पुत्र श्रीराम धाकड़
2- जगन्नाथ पुत्र रघुवर धाकड़
ग्राम बढ़सिरथरा तहसील कैलारस
जिला मुरैना मध्य प्रदेश

---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री ए0के0अग्रवाल)
(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय)

## आ दे श

(आज दिनांक 6-7 -2016 को पारित)

यह अपील अपर आयुक्त, चम्बल संभाग,मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 1071/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 14-9-2006 के विरुद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम बूढ़ा सिरथरा तहसील कैलारस स्थित भूमि सर्वे नंबर 230 रकबा 0.18 है., 283 रकबा 0.60 है., 303 रकबा 0.27 है. 529 रकबा 0.37 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) पर गलत इंद्राज दुरूस्ती का आवेदन आने पर तहसील न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 4/2003-04 अ-6-अ पंजीबद्व हुआ तथा पक्षकारों की सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 5-3-2004 पारित किया जाकर तहसीलदार वृत्त-2 तहसील कैलारस ने दाताराम पुत्र सीताराम के नाम की हुई गलत प्रविष्टि को सुधार कर प्रकाश पुत्र श्रीराम धाकड़ के नाम भूमि दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ़ कैंप कैलारस के समक्ष अपील करने पर प्रकरण क्रमांक 62/2004-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 13-1-2006 से अपील अवधि-बाह्य पाने से निरस्त की गई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 1071/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 14-9-2006 से अपील निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ आवेदक के अभिभाषक श्री ए0के0अग्रवाल के तर्क श्रवण किये गये। अनावेदक को बार-बार सूचना पत्र भेजे गये, परन्तु सूचना पत्र सम्यक निर्वहन के अभाव में पंजीकृत डाक से सूचना भेजी गई, किन्तु अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है। उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह है कि तहसील न्यायालय में वादग्रस्त भूमि पर मूल भूमिस्वामी प्रकाश पुत्र श्रीराम

धाकड़ के बजाय दाताराम पुत्र सीताराम के नाम की अपलेखन से हुई त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि का है एंव इन्हीं दोनों पक्षकारों के बीच का मामला विचारित होकर निर्णीत हुआ है जिसमें आवेदक पक्षकार नहीं है और न ही वादग्रस्त भूमि में उसके हित अभिलिखित है जिसके कारण ऐसे पक्षकार को अपील/निगरानी करने की पात्रता नहीं है।

5/ तहसील न्यायालय में इन्द्राज दुरूस्ती का आवेदन आने पर प्रकरण क्रमांक 4/2003-04 अ-6-अ पंजीबद्ध हुआ है एंव विधिवत् इस्तहार का प्रकाशन किया गया है, आवेदक वादग्रस्त भूमि के अभिलेख में कहीं भी अभिलिखित या नामांकित नहीं है जिसके कारण उसे व्यक्तिगत सूचना देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। तहसीलदार के समक्ष आवेदक प्रकाश पुत्र श्रीराम धाकड़ एंव अपलिखित हुये दाताराम पुत्र सीताराम सुनवाई हेतु उपस्थित रहे हैं। मौखिक साक्षी प्रहलाद एंव सुजान के कथन हुये हैं। दाताराम पुत्र सीताराम ने तहसीलदार के समक्ष स्वीकार किया है कि उसके नाम की गलत प्रविष्टि हुई है जबकि भूमि का वास्तविक भूमिस्वामी प्रकाश पुत्र श्रीराम धाकड़ है तब जाकर जांच उपरांत तहसीलदार ने आदेश दिनांक 5-3-2004 पारित करके त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि का सुधार किया है।

आवेदक के अभिभाषक का मुख्य तर्क यह है कि स्वर्गीय दाताराम आवेदक के पिता एंव अनावेदक के पिता के सगे भाई थे जिन्होंने जर्य नोटरी दोनों पक्षो के हित में 30-11-02 को बसीयत निष्पादित की है इसलिये वादग्रस्त भूमि में उसका भी स्वत्व है। मूल मामला विचारण न्यायालय में स्वत्व के बिन्दु के निराकरण का नहीं है अपितु अपलेखन या भूल से शासकीय अभिलेख में प्रकाश पुत्र श्रीराम धाकड़ के बजाय वादग्रस्त भूमि पर दाताराम पुत्र

सीताराम के नाम की हुई त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि सुधार का है। अतएव आवेदक के अभिभाषक व्दारा उठाई गई यह आपित्ति स्वीकार योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चम्बल संभाग,मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 1071/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 14-9-2006 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर